

पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ (बाधित अवधि)/

1589

/वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 14-3-2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,  
वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ (बाधित अवधि)/ 1327 / वाणिज्य कर, दिनांक 30-01-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में उल्लिखित जोन स्तर पर गठित समिति के बिन्दु-5 में अंकित समस्त जोन के वरिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक (सदस्य) के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

"जिन जोनो में वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षक की तैनाती न हो वहाँ पर किसी सहायक लेखाकार/ लेखाकार अथवा लेखा का कार्य करने वाले कर्मिक (सदस्य)"

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समिति का गठन करते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित दावों का नियमानुसार परीक्षण कराते हुए समिति की संस्तुति सहित प्रकरण यथाशीघ्र मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बजट आवंटन किया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अतः विषय को शीघ्र वरीयता प्रदान करना अपेक्षित है।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्यकर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
- 3- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।
- 4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अ. रंजन  
PC (T)  
14-3-19  
5422